प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

08-2-21 वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपील सं. 1 व 12 द्वारा प्रकरण में स्थगन जारी किए जाने बाबत No objection अंकित किया गया। पत्रावली बाबत आदेश दिनांक 16-2-21 को पेश। [illegible]

[illegible] स्टे पर कोई एतराज नहीं है। स्टाइ [illegible] में रखने [illegible] नहीं है। [illegible] अपील सं. 1 व 12 की तरफ से कोई एतराज नहीं है

16.02.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा पत्रावली में स्थगन जारी किये जाने बाबत लिखित में No-objection अंकित कर प्रकरण में स्थगन जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. आपसी सहमति के आधार स्वीकार किया जाकर चक 3 एल बडा के मु.नं. 19 के किला नं. 21 के दक्षिण दिशा मु.नं. 28 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 के दक्षिणी दिशा में चालू रास्ता की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं एवं अप्रार्थीगण चालू रास्ता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने बाबत निषिध रहे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल प्रार्थना पत्र मु.नं. 62/2020 अनवान बलदेव सिंह बनाम गुरदीप सिंह रहे।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन् सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner